न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनोज (RAS)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या :– 5/2023 **GCMS 2023/10**

प्रार्थी

1. मोहम्मद शरीफ पुत्र उसमान जाति इलाही मुस्लिम उम्र 60 वर्ष निवासी सूरजपोल, इलाहियों का मोहल्ला, कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर राज.

बनाम

अप्रार्थी :–

1. तहसीलदार कुचामनसिटी

आवेदन–पत्र :– अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थित :– श्री अशोकपुरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनॉक :– 03/07/2023

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत का सार संक्षेप में इस प्रकार से है ग्राम आसपुरा तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 469 रकबा 0.01 हैक्टर व खसरा नम्बर 470 रकबा 4.48 हैक्टर कुल रकबा 4.49 हैक्टर भूमि मुझ प्रार्थी की सहखातेदारी की अवस्थित है, जिसमें स्वर्गीय कबीर पुत्र अलादीन की खातेदारी की अवस्थित रही है, कबीर व उनके एक पुत्र उसमान के फौत होने पर उपर्युक्त वर्णित खसरा नम्बर की भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 68 कबीर व उसके मृतक पुत्र उसमान के वारिसान कासिम, इस्माइल, फतेह मोहम्मद, रमजान पि. कबीर, रहमती पत्नि कबीर वव उसमान के वारिसान मोहम्मद शरीफ, मंगतूदीन पि. उसमान व अल्लादी पत्नि उसमान के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया गया। नामान्तरकरण संख्या 68 की पुश्त पर कबीर पुत्र अलादीन का सजरा खानदान किया गया है, उपर्युक्त वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि में सजरा खानदान के अनुसार प्रार्थी का 1/18 हिस्सा है, परन्तु राज्य सरकार ने Digital India Land Records Modernization Programme के तहत राजस्थान की सभी तहसीलो के राजस्व रेकार्ड को डिजिटल किया गया एवं सेग्रीगेशन किया गया, इस प्रक्रिया के दौरान ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 469 रकबा 0.01 हैक्टर खसरा नम्बर 470 रकबा 4.48 हैक्टर कुल रकबा 4.49 हैक्टर भूमि खातेदारो का हिस्सा सजरा खानदान के हिसाब से नही करके राजस्व रेकार्ड में गलती से मोहम्मद शरीफ में मोहम्मद व शरीफ को अलग–अलग व्यक्ति दर्ज कर दिया है एवं प्रार्थी का हिस्सा 1/18 के स्थान पर 1/24 हिस्सा अंकित कर दिया अर्थात उसमान के 3 वारिसान के स्थान पर 4 वारिसान अंकित कर दिये जबकि नामान्तरकरण की पुश्त पर सजरा खानदान में उस्मान के तीन वारिसान अंकित है। सजरा खानदान अनुसार प्रार्थी का हिस्सा 1/18 होता है एवं प्रार्थी के भाई मंगतुदीन का हिस्सा भी 1/18 होता है तथा प्रार्थी की माता अल्लादी का हिस्स भी 1/18 होता है, जबकि सेग्रीगेशन के दौरान राजस्व रेकार्ड में गलती से 1/24 हिस्सा अंकित कर दिया गया है। चूँकि सेग्रीगेशन में राजस्व रेकार्ड में हिस्से गलत दर्ज हो गये हैं एवं उसमान के तीन वारिसान के स्थान पर चार वारिसान गलती से अंकित कर दिये हैं जबकि मोहम्मद नाम का कोई वारिस उसमान के नही है जो नामान्तरकरण की पुश्त पर बने सजरा खानदान में पूर्ण रूप से प्रमाणित है, मोहम्मद शरीफ एक ही नाम है, केवल मात्र गलती से मोहम्मद व शरीफ के बीच कोमा लगाने से

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:10:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

राजस्व रेकार्ड में त्रुटि हो गई है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की इस्तदुआ है कि ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 469 रकबा 0.01 हैक्टर खसरा नम्बर 470 रकबा 4.48 हैक्टर कुल रकबा 4.49 हैक्टर मे प्रार्थी का नाम मोहम्मद शरीफ अंकित किया जाकर प्रार्थी का हिस्सा 1/18 एवं प्रार्थी के भाई मंगतूदीन व माता अल्लादी का प्रत्ये का हिस्सा 1/18 दुरूस्त करवाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें एवं मोहम्मद पुत्र उसमान का नाम समस्त रिकार्ड्स ऑफ राइट्स से हटाया जाने की कृपा करावें।

प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर शामिल मिसल की गई। जांच रिपोर्ट दिनॉक 15.02.2023 अनुसार कबीर पुत्र अलादीन के कासिम, उसमान, इस्माइल, फतेह मोहम्मद, रमजान, रहमती, एवं उसमान के फौत होने पर उसके शरीफ मोहम्मद, मंगतुदीन, अल्लादी है, जमाबंदी सम्वत 2071–2074 ग्राम आसपुरा अनुसार खसरा नम्बर 470 में कासिम, उसमान, इस्माइल, फतेह मोहम्मद, रमजान पि कबीर रहमती पत्नि कबीर एवं शरीफ मोहम्मद पुत्र उसमान, मंगतुदीन पुत्र उसमान, अल्लादी पत्नि उसमान सम्पूर्ण हिस्सा खसरा नम्बर 469 में 7/8 हिस्स मं संयुक्त खातेदारी दर्ज रिकार्ड है, खसरा नम्बर 470 रकबा 4.48 हैक्टर में नामा. सं. 744 सेग्रीगेशन आदेश से कासिम 1/6, फतेह मोहम्मद 1/6, ईस्माइल 1/6, रमजान 1/6 पि. कबीर, रहमती पत्नि कबीर 1/6, शरीफ 1/24, मोहम्मद 1/24, मंगतुदीन 1/24 पि. उसमान, अल्लादी पत्नि उसमान 1/24 व खसरा नम्बर 469 रकबा 0.01 हैक्टर में नामा. सं. 745 सेग्रीगेशन आदेश से कासिम 7/48, ईस्माइल 7/48, फतेह मोहम्मद 7/48, रमजान 7/48 पि. कबीर, रहमती पत्नि कबीर 7/48, शरीफ 7/192, मोहम्मद 7/192, मंगतुदीन 7/192 पि. उसमान अल्लादी पत्नि उसमान 7/192 हिस्सा दर्ज किया गया, जो वर्तमान जमाबंदी में भी इस अनुसार हिस्सा चला आ रहा है, बिन्दू संख्या 1 में वर्णित सजरा अनुसार उसमान पुत्र कबीर के तीन ही वारिस है, बिन्दू संख्या 2 में वर्णित हिस्से में उसमान पुत्र कबीर के चार वारिस मानकर हिस्सा सेग्रीगेशन किया गया, जो अशुद्व है, नामा सं. 68 में मोहम्मद व शरीफ एक ही व्यक्ति है। सजरा अनुसार खसरा नम्बर 469 में शरीफ मोहम्मद हिस्सा 7/144, मंगतुदीन हि. 7/144, अल्लादी 7/144 व खसरा नम्बर 470 मे शरीफ मोहम्मद हि. 1/18 मंगतुदीन हि. 1/18 अल्लादी 1/18 हिस्सा किया जाना सही है।

दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमाबंदी नकल सम्वत 2075–2078 ग्राम आसपुरा के खाता सं. 19, 20 की प्रति प्रस्तुत की।

वकील प्रार्थी की एक–पक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थना–पत्र में वर्णित का अवलोकन किया गया। ग्राम आसपुरा के खसरा 469 रकबा 0.01 हैक्टर में मोहम्मद पुत्र उसमान हिस्सा 7/192 जाति मुसलमान सा. कुचामन खातेदार, शरीफ पुत्र हिस्सा 7/192 जाति मुसलमान सा. कुचामन खातेदार सह खातेदारी में नाम दर्ज है। ग्राम आसपुरा के खसरा नम्बर 470 रकबा 4.48 हैक्टर में मोहम्मद पुत्र उसमान हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा. कुचामन खातेदार, शरीफ पुत्र हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा. कुचामन खातेदार सह खातेदारी में नाम दर्ज है। जबकि जांच रिपोर्ट एवं उपलब्ध साक्ष्य अनुसार प्रार्थी मोहम्मद एवं शरीफ एक ही व्यक्ति (मोहम्मद शरीफ) है, जिसका हिस्सा राजस्व रेकार्ड में सेग्रीगेशन द्वारा अलग अलग मोहम्मद एवं शरीफ दर्ज होकर हिस्सा 7/192 एवं 1/24 दर्ज हुआ है, जबकि सही हिस्सा 7/144 एवं 1/18 दर्ज होना चाहिए। जिसका विवरण जांच रिपोर्ट दिनॉक 15.02.2023 मे स्पष्ट रूप से किया गया है। जिसे न्यायहित

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:10:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

में दुरूस्त किया जाना उचित है। उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि से होती है। प्रार्थना पत्र साबित होने से स्वीकार योग्य है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर ग्राम आसपुरा तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 469 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.कुआ एंव खसरा नम्बर 470 रकबा 4.48 हैक्टर बारानी द्वितीय में निम्न प्रकार अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध प्रविष्टि दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है :–

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	आसपुरा	19	469	मोहम्मद पुत्र उसमान हिस्सा 7/192 जाति मुसलमान सा. कुचामन खातेदार, शरीफ पुत्र उसमान हिस्सा 7/192 जाति मुसलमान सा. कुचामन खातेदार,	मोहम्मद शरीफ पुत्र उसमान हिस्सा 7/144 जाति मुसलमान सा. कुचामन खातेदार
				मंगतूदीन पुत्र उसमान 7/192 जाति मुसलमान सा. कुचामन खातेदार,	मंगतूदीन पुत्र उसमान 7/144 जाति मुसलमान सा. कुचामन खातेदार,
				अल्लादी पत्नि उसमान 7/192 जाति मुसलमान सा. कुचामन खातेदार,	अल्लादी पत्नि उसमान 7/144 जाति मुसलमान सा. कुचामन खातेदार,
2	आसपुरा	20	470	मोहम्मद पुत्र उसमान हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा. कुचामन खातेदार, शरीफ पुत्र उसमान हिस्सा 1/24 जाति मुसलमान सा. कुचामन खातेदार,	मोहम्मद पुत्र उसमान हिस्सा 1/18 जाति मुसलमान सा. कुचामन खातेदार,
				मंगतूदीन पुत्र उसमान 1/24 जाति मुसलमान सा. कुचामन खातेदार,	मंगतूदीन पुत्र उसमान 1/18 जाति मुसलमान सा. कुचामन खातेदार,
				अल्लादी पत्नि उसमान 1/24 जाति मुसलमान सा. कुचामन खातेदार,	अल्लादी पत्नि उसमान 1/18 जाति मुसलमान सा. कुचामन खातेदार,

शेष खाता बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी को उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 03/07/2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मनोज, (RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2023.07.26 12:10:01 IST
Reason: SelfAttested